

कांगड़ा सं 13017/2/88-राम (ग), दिनांक 16 जून, 1988

विषय: केंद्रीय सरकार की विधिक सामग्री के अनुचाद की व्यवस्था।

गृह मंत्रालय के 16 सितम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई० 11021/2/72-राम (एकक) में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को बताया गया था कि केंद्रीय सरकार की सभी संविधियों, सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों, जिनमें उनसे संबंधित फार्म भी शामिल हैं, का अनुचाद विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है। यह कार्य उस विभाग के राजभाषा खंड द्वारा किया जाता है।

2. 7 जनवरी, 1988 को सचिवों के एक सेमिनार में यह विचार व्यक्त किया गया है कि उन विधिक नियमों की एक सूची बनाइ जाए जो इस समय लागू है और जिनका अभी अनुचाद नहीं हुआ है। इस सेमिनार में यह भी सिफारिश की गई है कि ऐसे विधिक नियमों को अनुचाद के लिए विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड को हिंदी में अनुचाद के लिए तुरन्त भेज दिया जाए।

3. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग के ऐसे विधिक नियमों की सूची बना लें जो इस समय लागू है और जिनका अभी हिंदी अनुचाद नहीं हुआ है। ऐसी सूची की एक प्रति नियमों की अद्यतन प्रति सहित विधायी विभाग के राजभाषा खंड को अनुचाद के लिए तुरंत भिजवाने की कृपा करें। इस विषय में की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए ऐसे विधिक नियमों की एक सूची अधोहस्ताक्षरी को भी भेजने की कृपा करें।